[2022] 5 एस. सी. आर. 613

राजस्थान राज्य

ए.

वी.

बनवारी लाल और अन्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 579)

बी.

अप्रैल 08,2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

राज्य द्वारा अपीलः अभियुक्त की दोषसिद्धि-ख अपराध के लिए विचारण न्यायालय द्वारा s.307 आई. पी. सी. पीड़ित/घायल के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट पहुँचाने के लिए-ट्रायल कोर्ट ने सी आरोपी-बी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई-एक मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करते हुए, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी, लेकिन केवल अदालत से यह प्रस्तुत करते हुए सजा को कम करने का अनुरोध किया कि यह घटना लगभग 26 साल पहले हुई थी; कि वे तब से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब घटना हुई, तो वे युवा थे और डी अब वे वृद्ध व्यक्ति उच्च न्यायालय हैं, बिना किसी विस्तृत विवरण के।

मामले के तथ्यों का विश्लेषण, चोटों की प्रकृति, उपयोग किए गए हथियार, बस सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि (44 दिन) तक कम कर दिया-आयोजितः जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया और सजा को कम कर दिया, बिना इस पर ध्यान दिए कि

ई.

प्रासंगिक तथ्य और गुरुत्वाकर्षण और प्रकृति पर विचार किए बिना

अपराध, अस्थिर है-- उच्च न्यायालय ने अपील को सबसे आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से निपटाया है-उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम करने का निर्णय और आदेश न्याय के उपहास और उचित सजा/उपयुक्त सजा देने पर कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है। 307 आई. पी. सी., एफ. जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो दस साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है,

जी.

अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसी सजा के लिए दायी होगा जैसा कि धाराओं में उल्लिखित है। 307 आई. पी. सी.-तत्काल मामले में, आरोपी-बी को आजीवन कारावास और/या

कम से कम दस साल तक की सजा हो सकती थी-निचली अदालत ने उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई-इसलिए, निचली अदालत ने एच.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल तीन साल का कठोर कारावास-इसलिए, उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था-केवल इसलिए कि अपील का निर्णय होने तक की लंबी अवधि उस सजा को देने का आधार नहीं हो सकती है जो असमान और अपर्याप्त है उच्च न्यायालय ने उचित/उपयुक्त सजा/सजा देते समय प्रासंगिक कारकों का बिल्कुल भी विज्ञापन नहीं किया-तरीका बी.

जिस में उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया है और उसका निपटारा किया है, वह अत्यधिक अस्वीकृत दंड संहिता, 1860 है। 307 - न्यायिक

अवमूल्यन। अपीलः अभियुक्त के पक्ष में पारित परिवीक्षा के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील-एम-ट्रायल कोर्ट ने मंजूरी दी

अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ-एम, जिसके खिलाफ राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की और यह अभियुक्त ही था जिसने अपील को प्राथमिकता दी, जिसे खारिज कर दिया गया-राज्य को अभियुक्त के खिलाफ तत्काल अपील को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी-एम, जब उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील खारिज कर दी गई थी और डी दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी-यदि राज्य परिवीक्षा का लाभ देने के खिलाफ व्यथित था, तो उस मामले में, पहली बार में, राज्य को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। अपीलः अभियुक्तों द्वारा अपील दायर करने में राज्य की ओर से देरी-दंड-याचिका कि उन्होंने अपने जीवन में पुनर्वास किया है और ई किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं और इसलिए, अपील दायर करने में राज्य की ओर से पर्याप्त देरी को माफ नहीं किया जाना चाहिए-आयोजित किया गयाः केवल देरी के तकनीकी आधार पर और केवल इस आधार पर कि अभियुक्त अपने जीवन में फिर से बस गए हैं और उनका आचरण तब से संतोषजनक रहा है और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हैं, देरी को माफ नहीं करने और योग्यता के आधार पर अपील पर विचार नहीं करने का कोई आधार नहीं है-अपील को प्राथमिकता देने में 1880 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहाः 1.उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सबसे अधिक बेपरवाह है। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश हस्तक्षेप के योग्य है

जी.

यह न्यायालय। केवल देरी के तकनीकी आधार पर और केवल इस आधार पर कि विवादित निर्णय और आदेश के बाद, जो कि अस्थिर है, अभियुक्त अपने जीवन में फिर से बस गए हैं और उनका आचरण तब से संतोषजनक रहा है और उन्होंने ऐसा नहीं किया है। किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त, माफ नहीं करने का कोई आधार नहीं है

एच स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम। बनवारी लाल और एक और

देरी करना और योग्यता के आधार पर अपील पर विचार नहीं करना। इसलिए, अपील को प्राथमिकता देने में 1880 दिनों की ए देरी को माफ कर दिया जाता है। [पैरा 8] [625-एफ-जी]

2.1 हाथ में मामले में, यह साबित होता है कि पीड़ित ने

शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट लगी, यानी, सिर और खोपड़ी पर फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने यह भी राय दी है कि बी की चोट जानलेवा थी और घायल को लगी चोट, प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में, मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। आई. पी. सी. की धारा 307 के अनुसार, जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई भी कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे दंडित किया जाएगा।

सी.

आई. पी. सी. की धारा 307 में उल्लिखित है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को आजीवन कारावास डी और/या कम से कम दस साल तक की सजा हो सकती थी। निचली अदालत ने आरोपी-बी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसलिए, निचली अदालत ने पहले ही केवल तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इसलिए, उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए

ई.

उसी के साथ हस्तक्षेप किया। यद्यपि उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जिस बात का वजन है, वह अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया है कि घटना हुई थी।

31.03.1989 पर रखें, अर्थात। , लगभग 26 साल पहले; कि वे पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब घटना हुई, तो वे युवा थे और अब वे वृद्ध व्यक्ति हैं। उपयुक्त और/या पर्याप्त सजा देते समय उपरोक्त एकमात्र विचार नहीं हो सकता है। यहां तक कि अभियुक्त की ओर से यह निवेदन करने के संबंध में कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है और सजा दस साल तक होगी,

जी.

इसका जवाब यह मानते हुए दिया जाता है कि विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए।

आनुपातिक रूप से और किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए और लागू करने के सिद्धांतों पर विचार करते हुए

वाक्य। [पैरा 9] [625-एच; 626-ए-एफ]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान राज्य बनाम। मोहन लाल (2018) 18 एससीसी 535;

ए.

मध्य प्रदेश राज्य बनाम। उधम (2019) 10 एस. सी. सी. 300; सतीश कुमार जयंती लाल डग्गर बनाम। गुजरात राज्य

(2015) 7 एससीसी 359: [2015] 2 एससीआर 751-पर निर्भर। 2.2 केवल इसलिए कि बी के निर्णय के समय तक एक लंबी अवधि समाप्त हो गई है, अपील उस सजा को देने का आधार नहीं हो सकती है जो असमान और अपर्याप्त है। उच्च न्यायालय ने उन प्रासंगिक कारकों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है जो उचित/उपयुक्त सजा/सजा देते समय आवश्यक थे। उच्च न्यायालय ने इस अपील को अत्यंत बेपरवाह तरीके से निपटाया और उसका निपटारा किया है। उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा किया है

सी.

शॉर्टकट अपनाना। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया है और उसका निपटारा किया है, वह अत्यधिक निंदनीय है। [पैरा 10] [626-जी-एच]

2.3 वर्तमान मामलों की तरह, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को कोई चुनौती नहीं दी और दोषसिद्धि में कमी के लिए प्रार्थना की।

डी.

सजा और उसी पर विचार किया जाता है और कोई और कारण बताए बिना और उचित दंड/सजा देते समय जिन प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, उन्हें जोड़े बिना एक अपर्याप्त और अनुचित सजा दी गई है। शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक ई अपीलों का निपटारा करने की इस तरह की प्रथा की निंदा की जाती है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि (44 दिन) कर दिया।

अभियुक्त के संबंध में-बी पूरी तरह से अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए और अलग कर दिया जाना चाहिए। [पैरा 10] [627-बी-डी]

एफ.

3. अब जहाँ तक अभियुक्त-एम के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील का संबंध है, यहाँ तक कि विचारण न्यायालय ने भी उक्त अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया, जिसके खिलाफ राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की और यह अभियुक्त ही था जिसने अपील को प्राथमिकता

दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, राज्य को अभियुक्त के खिलाफ वर्तमान अपील को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी-एम, जब उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील खारिज हो गई और दोषसिद्धि हो गई

जी.

पुष्टि की। यदि राज्य परिवीक्षा का लाभ देने के खिलाफ व्यथित था, तो उस मामले में, पहली बार में, राज्य को -

एच स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम। बनवारी लाल और एक और

ए.

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी है। [पैरा 11] [627 - ई-एफ]

मामला कानून संदर्भ

(2018) 18 एस. सी. सी. 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.5

(2019) 10 एससीसी 300

उस पर भरोसा करें

पैरा 4.5 बी

पैरा 4.5

[2015] 2 एससीआर 751

उस पर भरोसा करें

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः 2022 की आपराधिक अपील संख्या 579। 1993 के एस. बी. आपराधिक अपील <आई. डी. 2 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय सी के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2015 से।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और एस. बी. आपराधिक अपील सं. 36/1993 में जयपुर में ई राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.05.2015 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और प्रत्यर्थी सं. 1 इसमें आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए सजा को तीन साल के कठोर कारावास से घटाकर पहले से ही कारावास (44 दिन) में बिताई गई अवधि कर दिया गया है, और इसलिए एफ

जहाँ तक अभियुक्त-मोहन लाल का संबंध है, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है जिसमें उसे आई. पी. सी. की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया है, और उसे धारा 360 Cr.P.C के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया गया है। 3. कि इसमें प्रतिवादियों और अन्य पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा

147,148,149,447 और 323 के तहत और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत भी मुकदमा चलाया गया था (जहां तक आरोपी बनवारी लाल का संबंध है)।

उत्तरदाता नं। 1 यहाँ संबंधित है)। प्रतिवादी संख्या 1-बनवारी लाल पर घायल व्यक्ति फूल चंद की खोपड़ी/सिर के बीच में गंभीर चोट लगने के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था। कि घायल फूल चंद को एक घाव हुआ एच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

खोपड़ी और हड्डी के केंद्र में मस्तिष्क की झिल्ली तक फैले 10 x 1 सेंटीमीटर हड्डी के आकार का घाव बाहर निकल रहा था। उसे अन्य चोटें भी आईं। 3.1 साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित कर दिया है कि घायल फूल चंद को लगी चोटें बी, जो अभियुक्त-बनवारी लाल के कारण हुई थीं, सामान्य प्रकृति में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। ऐसा देखकर, विद्वत विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी-बनवारी लाल को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। तथापि, जहाँ तक अभियुक्त मोहन लाल का संबंध है, विद्वत विचारण न्यायालय,

सी.

हालाँकि उसे दोषी ठहराया गया, लेकिन परिवीक्षा का लाभ दिया गया। 3.2 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए,

प्रतिवादी-आरोपी बनवारी लाल और मोहन लाल, दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय के समक्ष, अभियुक्त बनवारी लाल की ओर से मुख्य डी प्रस्तुतियाँ की गईं, जिसमें प्रत्यर्थियों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी, लेकिन जहां तक अभियुक्त बनवारी लाल का संबंध है, सजा को कम करने का अनुरोध किया, इस आधार पर कि घटना 31.03.1989 पर हुई थी, अर्थात। , लगभग 26 साल पहले; कि वे पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब ई घटना हुई, तो वे युवा थे और अब वे बूढ़े/वृद्ध व्यक्ति हैं। अभियुक्त बनवारी लाल की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अभियुक्त मोहन लाल को परिवीक्षा का लाभ दिया गया है, इसलिए उसे परिवीक्षा का लाभ भी दिया जा सकता है। इसके बाद, अपराध की प्रकृति या गंभीरता और घायल फूल चंद पर आरोपी एफ. बनवारी लाल द्वारा की गई गंभीर चोटों पर विचार किए बिना और कोई और कारण बताए बिना, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए, सजा को घटाकर पहले से चली आ रही अवधि (44 दिन) कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त मोहन लाल के संबंध में याचिका खारिज कर दी है। 3.3 जि. के विवादित फैसले और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करना और इसे अभियुक्त बनवारी लाल के संबंध में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से घटाकर (44 दिन) की अवधि तक लाना, और साथ ही,

जहां तक अभियुक्त मोहन लाल का संबंध है, परिवीक्षा के आदेश की पुष्टि करते हुए राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

राजस्थान राज्य बनाम। बनवारी लाल और एक अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

3.4 अपील ए को प्राथमिकता देने में 1880 दिनों की भारी देरी हुई है और इसलिए राज्य द्वारा एक अलग आपराधिक विविध आवेदन दायर किया गया है, जिसमें देरी को माफ करने का अनुरोध किया गया है।

4. राज्य की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल मेघवाल ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय बी द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश ने विद्वत निचली अदालत द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से सजा को पहले ही (44 दिन) की अवधि तक कम कर दिया है।
4.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को कम करते समय उच्च न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट कारण नहीं दिए गए हैं।

उचित सजा/सजा। 4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया है
अपराध की गंभीरता और पीड़ित/घायल फूल चंद को लगी गंभीर चोटें।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास (बनवारी लाल) की सजा सुनाने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया था, तो उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था, विशेष रूप से, जब दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील पर जोर नहीं दिया गया था।

एफ.

4.5 राजस्थान राज्य बनाम के मामलों में उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। मोहन लाल, (2018) 18 एस. सी. सी. 535 में रिपोर्ट किया गया; मध्य प्रदेश राज्य बनाम। उधम, (2019) 10 एस. सी. सी. 300 में रिपोर्ट किया गया; और सतीश कुमार जयंती लाल डग्गर बनाम।

गुजरात राज्य, (2015) 7 एस. सी. सी. 359 में सूचित, यह अनुरोध किया जाता है कि जी को वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाए और विद्वत विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल किया जाए।

5. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

ए.

5.1 श्री अभिषेक गुप्ता, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

अभियुक्त ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील करने में 1880 दिनों की भारी देरी हुई है। कि अभियुक्त अपने जीवन में फिर से बस गए हैं और उनका आचरण तब से संतोषजनक रहा है और विवादित निर्णय पारित होने के बाद, वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं और

बी.

कार्यवाही को पुनर्जीवित करने की घटना वर्ष 1989 की है, जो अत्यंत कठोर और अन्यायपूर्ण होगी। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपील को प्राथमिकता देने में 1880 दिनों की भारी देरी को माफ न किया जाए।

5.2 गुण-दोष पर, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि सजा को कम करते हुए उच्च न्यायालय ने

सी.

अदालत ने आरोपी बनवारी लाल की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है कि यह घटना लगभग 26 साल पहले हुई थी और आरोपी पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे और जब यह घटना वर्ष 1989 में हुई थी, तो आरोपी युवा थे और अब वे वृद्ध व्यक्ति हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि (44 दिन) तक कम करते हुए प्रासंगिक विचार डी कहा जा सकता है।

5.3 अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा है कि जहाँ तक अभियुक्त मोहन लाल को परिवीक्षा का लाभ देने का संबंध है, उसे विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था, जिसके खिलाफ राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की थी। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उच्च न्यायालय द्वारा

अभियुक्त मोहन लाल द्वारा दायर अपील को विवादित निर्णय और आदेश ने खारिज कर दिया है, राज्य के लिए अब अभियुक्त मोहन लाल को परिवीक्षा का लाभ देने वाले आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है, जबकि इसे राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

एफ.

5.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, इसे अस्वीकार करने की प्रार्थना की जाती है

विलंब की माफी के साथ-साथ योग्यता के आधार पर भी अपील के लिए आवेदन। 6. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

जी.

शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी बनवारी

लाल को निचली अदालत ने पीड़ित/घायल फूल चंद के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोटों के लिए आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया था। घायल फूल चंद को खोपड़ी के केंद्र में मस्तिष्क की झिल्ली तक गहरी 10 x 1 सेंटीमीटर हड्डी के आकार का एक घाव हुआ और हड्डी बाहर निकल रही थी।

राजस्थान राज्य बनाम। बनवारी लाल और एक अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

इसके बाद, आरोपी बनवारी लाल को दोषी पाते हुए, ए ट्रायल कोर्ट ने उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील में, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी, लेकिन केवल अदालत से प्रार्थना की कि वह सजा को उस अवधि तक कम कर दे जो उसने पहले ही पूरी कर ली थी, यह प्रस्तुत करते हुए कि यह घटना 31.03.1989 पर हुई थी, अर्थात। , लगभग 26 साल पहले; कि वे पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब यह घटना हुई, तो वे युवा थे और अब वे वृद्ध व्यक्ति हैं। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यों, चोटों की प्रकृति, इस्तेमाल किए गए हथियार का कोई विस्तृत विश्लेषण किए बिना सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि (44 दिन) कर दिया है। विवादित फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

बी.

एस.

जहाँ तक अभियुक्त अपीलार्थी बनवारी लाल द्वारा दायर अपील का संबंध है, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त अपीलार्थी बनवारी लाल पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहा है; वह मुकदमे के दौरान 44 दिनों तक हिरासत में रहा है; वह पहले से दोषी व्यक्ति नहीं है, मेरे विचार में, न्याय के अंत को पूरा किया जाएगा यदि अभियुक्त अपीलार्थी बनवारी लाल को दी गई सजा अपीलार्थी बनवारी को कम करके उस अवधि तक सीमित कर दिया गया है जो वह पहले ही कारावास में बिता चुका है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए, इस अपील का निपटारा निम्नलिखित निर्देशों के साथ किया जाता हैः

i) अपीलार्थी बनवारी द्वारा दायर अपील आंशिक रूप से अनुमत है; च) उसकी दोषसिद्धि बनी रहती है। उसकी सजा कम कर दी जाती है और उसे पहले से ही कारावास में बिताए गए समय के लिए रिहा कर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। (iii) अभियुक्त अपीलार्थी बनवारी लाल की सजा थी -

जी.

निलंबित कर दिया गया है और वह जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है और उसके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं। (iv) जहाँ तक अभियुक्त मोहन लाल द्वारा दायर अपील का संबंध है, क्योंकि उसे पहले ही परिवीक्षा का लाभ दिया जा चुका है, मुझे उसकी अपील में कोई बल नहीं मिलता है और इसके परिणामस्वरूप, अपील, एच

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

अभियुक्त मोहन लाल, की पुष्टि करने के बाद बर्खास्त कर दिया जाता है

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश।

विवादित निर्णय को संशोधित किया गया है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। 6.1 जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया है और प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिए बिना सजा को कम कर दिया है

बी.

और अपराध की गंभीरता और प्रकृति पर विचार किए बिना, यह टिकाऊ नहीं है। उच्च न्यायालय ने इस अपील पर सबसे आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से विचार किया है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा को कम करने का निर्णय और आदेश न्याय के उपहास का एक उदाहरण है और इस न्यायालय द्वारा उचित सजा/उपयुक्त सजा देने के निर्णयों में निर्धारित कानून के सभी सिद्धांतों के खिलाफ है।

7. इस स्तर पर, किसी दिए गए मामले में सजा देने के सिद्धांतों और उचित सजा देने के लिए परीक्षणों पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों को संदर्भित करने और उन पर विचार करने की आवश्यकता है।

i) मोहन लाल (उपरोक्त) के मामले में, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित डी निर्णय और आदेश को संशोधित किया और अभियुक्त को पहले से ही गुजर चुकी अवधि की सजा सुनाई, जो केवल छह दिन की थी और बिल्कुल कोई कारण नहीं था, बहुत कम वैध कारण, उच्च न्यायालय द्वारा सौंपे गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 से 13 में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः ई " 9. उच्च न्यायालय ने उपरोक्त भौतिक तथ्यों को दरकिनार कर दिया और अभियुक्त को उस अवधि की सजा सुनाई जो वह पहले ही बिता चुका है, जो इस मामले में केवल 6 दिन है। हमारे विचार में, निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 325 और 323 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराकर एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है। बिल्कुल कोई कारण नहीं, बहुत कम वैध कारण दिए गए हैं।

एफ.

उच्च न्यायालय द्वारा 6 दिन की मामूली सजा देने के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की सजा सुनाने से न्यायपालिका को झटका लगा है

इस न्यायालय की अंतरात्मा।

10. वर्तमान में, भारत में सजा देने के लिए कोई संरचित दिशानिर्देश नहीं हैं जो विधायिका या न्यायपालिका द्वारा जारी किए गए हैं।

जी.

हालांकि, अदालतों ने सजा सुनाने के मामले में कुछ दिशानिर्देश बनाए हैं। एक न्यायाधीश के पास वैधानिक सीमाओं के भीतर सजा देने का व्यापक विवेक होता है। चूँकि कई अपराधों में केवल अधिकतम सजा निर्धारित की जाती है और कुछ अपराधों के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है, इसलिए प्रत्येक न्यायाधीश अपना निर्णय लेता है।

[एम. आर. शाह, जे.]

तदनुसार विवेकाधिकार। अतः एकरूपता नहीं हो सकती। तथापि, इस न्यायालय ने बार-बार यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों को अपने नियमों का प्रयोग करते समय कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। सजा सुनाने में विवेकाधिकार, जैसे आनुपातिकता, निरोध और पुनर्वास। आनुपातिकता विश्लेषण में, अपराध की गंभीरता का आकलन करना आवश्यक है ताकि

बी.

11. सोमन बनाम में यह न्यायालय। केरल राज्य [सोमन बनाम। केरल राज्य, (2013) 11 एससीसी 382: (2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1] ने सी को देखा इस प्रकारः (एस. सी. सी पी. 393, पैरा 27) "27.1। न्यायालयों को सजा सुनाने के निर्णयों को विभिन्न विभिन्न तर्कों पर आधारित करना चाहिए-जिनमें से सबसे प्रमुख आनुपातिकता और प्रतिरोध होगा।

27.4 . ई अपराध की गंभीरता का आकलन करने के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणाम हैं। 27.5 . अनपेक्षित परिणाम/हानि अभी भी अपराधी को उचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि वे उचित रूप से पूर्वानुमेय थे। शराब के अवैध और भूमिगत निर्माण के मामले में, विषाक्तता की संभावना इतनी अधिक है कि न केवल इसके निर्माता एफ बल्कि वितरक और खुदरा विक्रेता को उपभोक्ता के लिए इसके संभावित जोखिमों के बारे में पता होगा। इसलिए, भले ही उपभोक्ता को कोई नुकसान पहुँचाना सीधे तौर पर अभिप्रेत न हो, लेकिन अगर उपभोक्ता को नकली शराब पीने के परिणामस्वरूप कोई गंभीर चोट लगती है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ गंभीर दोष लगाया जाना चाहिए।

जी.

12. एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम में इस न्यायालय का भी यही फैसला है। महाराष्ट्र राज्य [एलिस्टर एंथनी परेरा बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 648: (2012) 1 एस. सी. सी. (सिविल) 848: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 953] जिसमें इसे इस प्रकार मनाया जाता हैः (एस. सी. सी पी. 674, पैरा 84)

ए.

" 84. अपराध के मामलों में सजा सुनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। आपराधिक कानून के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उचित, पर्याप्त, न्यायसंगत और आनुपातिक सजा देना है। अपराध की प्रकृति और गंभीरता और जिस तरीके से अपराध किया जाता है, उसके अनुरूप। अपराध के प्रमाण पर किसी आरोपी को सजा देने के लिए कोई स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं है। अदालतों ने कुछ सिद्धांत विकसित किए हैं: सजा देने की नीति का दोहरा उद्देश्य निरोध और सुधार है। कौन सी सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगी, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और अदालत को अपराध की गंभीरता, अपराध के उद्देश्य, अपराध की प्रकृति और अन्य सभी परिचर परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।

बी.

सी.

13. उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि सजा देने का सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तथापि, सजा उचित, पर्याप्त, न्यायसंगत, आनुपातिक और
अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुरूप और

डी.

जिस तरह से अपराध किया जाता है। अपराध को लागू करते समय अपराध की गंभीरता, अपराध के उद्देश्य, अपराध की प्रकृति और अन्य सभी उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

वाक्य। अदालत सजा सुनाते समय लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि अपराध और अपराधी दोनों हैं।

ई.

सजा सुनाने की प्रक्रिया में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालतों को यह देखना चाहिए कि जनता न्यायिक प्रणाली में विश्वास न खोए। अपर्याप्त सजा देने से न्याय प्रणाली को अधिक नुकसान होगा और ऐसा राज्य बन सकता है जहां पीड़ित न्यायिक प्रणाली में विश्वास खो देता है और निजी प्रतिशोध का सहारा लेता है। 99 "

एफ.

(ii) उधम (उपर्युक्त) के मामले में, अनुच्छेद 11 से 13 में, यह है -

निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया गयाः 11. हमारी राय है कि अपर्याप्त या गलत सजा के कारण इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामले दायर किए जा रहे हैं।

नीचे दी गई अदालतों द्वारा किया गया। हमने बार-बार आगाह किया है।

जी.

उस घुड़सवार तरीके के खिलाफ जिसमें कुछ मामलों में सजा सुनाई जाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सजा के पहलू को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपराधिक न्याय प्रणाली के इस हिस्से का समाज पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। उसी के आलोक में, हमारी राय है कि हमें उसी पर और स्पष्टता प्रदान करने की आवश्यकता है।

12. अपराधों के लिए सजा का विश्लेषण तीन परीक्षणों के टचस्टोन ए पर किया जाना चाहिए। अपराध परीक्षण, आपराधिक परीक्षण और तुलनात्मक आनुपातिकता परीक्षण। अपराध परीक्षण में विस्तार जैसे कारक शामिल हैं

योजना बनाना, हथियार का चुनाव, अपराध का तरीका, निपटान का तरीका (यदि कोई हो), अभियुक्त की भूमिका, अपराध का असामाजिक या घृणित चरित्र, पीड़ित की स्थिति। आपराधिक परीक्षण में बी कारकों का आकलन शामिल है जैसे कि अपराधी की उम्र, आपराधिक का लिंग, आर्थिक स्थिति या अपराधी की सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध के लिए प्रेरणा, बचाव की उपलब्धता, मानसिक स्थिति, मृतक या मृतक समूह के किसी व्यक्ति द्वारा उकसाना, मुकदमे में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व, अपील प्रक्रिया में न्यायाधीश द्वारा असहमति, पश्चाताप, सुधार की संभावना, पूर्व सी आपराधिक रिकॉर्ड (लंबित मामलों को नहीं लेना) और कोई अन्य प्रासंगिक कारक (एक विस्तृत सूची नहीं)।

13. इसके अतिरिक्त, हम ध्यान दे सकते हैं कि अपराध परीक्षण के तहत, गंभीरता का पता लगाने की आवश्यकता है। अपराध की गंभीरता

(i) पीड़ित की शारीरिक अखंडता; (ii) भौतिक समर्थन या सुविधा का नुकसान; (iii) अपमान की सीमा; और (iv) गोपनीयता उल्लंघन द्वारा पता लगाया जा सकता है। "

उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने कुछ मामलों में सजा सुनाने के तरीके के खिलाफ फिर से आगाह किया।

(ग) सतीश कुमार जयंती लाल डग्गर (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है और कहा है कि सजा सुनाने के पीछे का उद्देश्य और औचित्य न केवल प्रतिशोध, अक्षमता, पुनर्वास है, बल्कि

निरोध भी। 8. इस न्यायालय द्वारा सिद्धांतों पर निर्धारित कानून को लागू करना

एफ.

फैसला सुनाते हुए, मामले के तथ्यों के लिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सबसे अधिक बेपरवाह है। इसलिए, उच्च न्यायालय का आदेश इस न्यायालय के हस्तक्षेप के योग्य है। केवल विलंब के तकनीकी आधार पर और केवल इस आधार पर कि विवादित निर्णय और आदेश के बाद, जो अस्थिर है, अभियुक्त अपने जीवन में फिर से बस गए हैं और उनका आचरण तब से संतोषजनक रहा है और वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुए हैं, देरी को माफ नहीं करने और योग्यता के आधार पर अपील पर विचार नहीं करने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, अपील को प्राथमिकता देने में 1880 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

जी.

9. हाथ के मामले में, यह साबित होता है कि पीड़ित फूल चंद को शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर गंभीर चोट लगी है।

ए खोपड़ी पर एक फ्रैक्चर था। डॉक्टर ने यह भी राय दी है कि चोट जानलेवा थी और घायल फूल चंद को लगी चोट, सामान्य प्रकृति में, मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। आई. पी. सी. की धारा 307 के अनुसार, जो कोई भी इस तरह के इरादे या ज्ञान के साथ कोई भी कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों में कि यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा, दोनों में से किसी एक के कारावास से दंडित किया जाएगा। बी.

एक ऐसी अवधि के लिए विवरण जो दस वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है, तो अपराधी या तो आजीवन कारावास या ऐसी सजा के लिए उत्तरदायी होगा जो

आई. पी. सी. की धारा 307 में उल्लिखित है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, अभियुक्त को आजीवन कारावास और/या कम से कम सी को दस साल तक की सजा हो सकती थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी बनवारी लाल को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने पहले ही केवल तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए बहुत उदार दृष्टिकोण अपनाया था। इसलिए, उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हालांकि उच्च न्यायालय ने कुछ नहीं कहा है, विवादित से

डी.

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के साथ जिस बात का वजन है, वह अभियुक्त की ओर से यह निवेदन है कि घटना की घटना 31.03.1989 पर हुई थी, अर्थात। , लगभग 26 साल पहले; कि वे पिछले 26 वर्षों से मुकदमे का सामना कर रहे थे; और जब यह घटना हुई, तो वे युवा थे और अब वे ई आयु वर्ग के हैं। उपयुक्त और/या पर्याप्त सजा देते समय उपरोक्त एकमात्र विचार नहीं हो सकता है। यहां तक कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कि आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत कोई न्यूनतम सजा नहीं है और सजा दस साल तक होगी, इसका जवाब यह मानते हुए दिया जाता है कि विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए और सजा आनुपातिक रूप से लगाई जानी चाहिए और देखना चाहिए। एफ.

किए गए अपराध की प्रकृति और गंभीरता के लिए और यहाँ ऊपर निर्दिष्ट दंडादेश अधिरोपित करने के सिद्धांतों पर विचार करके।

10. केवल इसलिए कि अपील का निर्णय होने तक एक लंबी अवधि समाप्त हो गई है, यह सजा देने का आधार नहीं हो सकता है जो है -

असमान और अपर्याप्त। उच्च न्यायालय ने जी को उन प्रासंगिक कारकों के लिए बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया है जो लागू करते समय आवश्यक थे।

उचित/उपयुक्त सजा/सजा। जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने अपील पर सबसे अधिक बेपरवाह तरीके से विचार किया है और उसका निपटारा किया है। उच्च न्यायालय ने शॉर्टकट अपनाकर अपील का निपटारा कर दिया है। जिस तरह से उच्च न्यायालय ने एच अपील से निपटा है और उसका निपटारा किया है, वह अत्यधिक निंदनीय है। हम 627 में कई निर्णयों का सामना कर चुके हैं।

राजस्थान राज्य बनाम। बनवारी लाल और एक अन्य [एम. आर. शाह, जे.]

विभिन्न उच्च न्यायालयों की और यह पाया गया है कि कई मामलों में आपराधिक ए अपीलों का निपटान सरसरी तरीके से और संक्षिप्त तरीकों को अपनाकर किया जाता है। कुछ मामलों में आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग I या धारा 304 भाग II में परिवर्तित कर दिया जाता है।

किसी भी पर्याप्त कारण को निर्दिष्ट करना और केवल अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँ दर्ज करना कि उनकी दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग I बी या 304 भाग II में बदला जा सकता है। वर्तमान मामलों की तरह, अभियुक्त ने दोषसिद्धि को कोई चुनौती नहीं दी और सजा में कमी के लिए प्रार्थना की और उस पर विचार किया गया और कोई और कारण बताए बिना और प्रासंगिक कारकों को बताए बिना एक अपर्याप्त और अनुचित सजा दी गई है, जिन पर उचित सजा/सजा देते समय विचार करने की आवश्यकता है। हम शॉर्टकट अपनाकर आपराधिक अपीलों के निपटारे की ऐसी सी प्रथा की निंदा करते हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त बनवारी लाल के संबंध में विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से सजा को घटाकर पहले से चली गई अवधि (44 दिन) तक कम करने का विवादित निर्णय और आदेश बिल्कुल अस्थिर है और यह डी को रद्द करने और अलग करने का हकदार है।

11. अब जहाँ तक अभियुक्त मोहन लाल के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भी उक्त अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया, जिसके खिलाफ राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अपील नहीं की और यह अभियुक्त ही था जिसने अपील को प्राथमिकता दी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए, राज्य को वर्तमान अपील को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए थी

ई.

अभियुक्त मोहन लाल के विरुद्ध, जब उच्च न्यायालय के समक्ष उसकी अपील खारिज हो गई और दोषसिद्धि की पुष्टि हो गई। यदि राज्य परिवीक्षा का लाभ देने के खिलाफ व्यथित था, तो उस मामले में, पहली बार में, राज्य को उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करनी चाहिए थी।

एफ.

12. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, जहां तक अभियुक्त बनवारी लाल का संबंध है, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा के आदेश में हस्तक्षेप करने और अभियुक्त बनवारी लाल को आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन साल के कठोर कारावास से पहले की अवधि (44 दिन) तक की सजा सुनाने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश ने अभियुक्त बनवारी लाल को एच 628 से गुजरने की सजा सुनाई

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके द्वारा आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत तीन साल के कठोर कारावास को बहाल किया जाता है। अभियुक्त बनवारी लाल को शेष सजा भुगतने के लिए आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर उपयुक्त जेल प्राधिकरण/संबंधित अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

जहाँ तक अभियुक्त बी मोहन लाल के खिलाफ राज्य द्वारा दायर अपील का संबंध है, उसे एतद्वारा खारिज कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

आंशिक रूप से अनुमति।